कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 415

दिनांकः 20/09/2023

श्रीमान उपवन संरक्षक
कोटा

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सलावदखुर्द से बड़ौदिया आंतरी सड़क निर्माण हेतु 4.896 है0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक एफ( )उवस/तक/2023–24/8379 दिनांक 14.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्रांक 8बी/राज./06/33/2008/एफ.सी./819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र) लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज./106/33/2008/एफ.सी./162 दिनांक 11.05.2009 के तहत उक्त आलोच्य प्रस्ताव की निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की गई थी जिसकी विभाग द्वारा बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रस्तुत है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्ते	अनुपालना
1	बिन्दु संख्या 1 से 6	इस कार्यालय के पत्रांक 311 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा अनुपालना भिजवायी जा चुकी है।
7	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों /कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी जावेगी तथा इसका वर्णन उनकी सर्विस पुरितका में किया जायेगा ओर उसकी एक प्रतिलिपी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावेगी।	भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी अधिकारी तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री आर.एस. झंवर 30.06.2020 को सेवानिवृत हो चुके है। उक्त सड़क निर्माण कार्य का कार्यादेश तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री आर.एस. झंवर द्वारा जारी किया गया। श्री झंवर का सेवा निवृत हुए 3 वर्ष के अधिक समय होने के कारण सेवा पुस्तिका में चेतावनी का इन्द्राज किया जाना संभव नही है।

उक्त सड़क निर्माण में वन भूमि के बदले गैर वन भूमि ग्राम सलावद कलां में आपके विभाग को पूर्व में दी जा चुकी है एवं अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि रू. 5701429/– उपरोक्तानुसार आपके विभाग को दी जा चुकी है।

उक्त सड़क निर्माण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायीं अधिकारी सेवा निवृत्त होने से उक्त प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक जनहितार्थ सड़क निर्माण की अनुमति दिलाने का श्रम करें।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

Scanned with Ca